रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 21, 2011/माघ 1, 1932
No. 35] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 21, 2011/MAGHA 1, 1932

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2011

सा.का.नि. 44(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय और राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों में निदेशक, जनगणना कार्य के कार्यालयों में (रिकार्ड कीपर/दफ्तरी/वरिष्ठ चपरासी/कनिष्ठ गेस्टेटनर आपरेटर) भर्ती नियम, 2001, भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में निदेशक, जनगणना कार्य के कार्यालयों में (फराश/सफाई कर्मचारी/चौकीदार/माली/लोडर/चपरासी/पैकर) भर्ती नियम, 2001 और भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय तथा राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों में निदेशक, जनगणना कार्य के कार्यालयों में, चपरासी समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 2007 का अधिक्रमण करते हुए, अधिक्रमण से पहले इस संबंध में की गई या लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय के तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित सभी जनगणना कार्य निदेशालयों में मल्टी टास्किंग स्टाफ के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय एवं राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशकों के कार्यालय मल्टी टास्किंग स्टाफ (समूह 'ग') भर्ती नियम, 2011 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे बैंड और ग्रेड पे अथवा वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और पे बैंड तथा ग्रेड पे अथवा वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (2) से कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से कॉलम (14) में विनिर्दिष्ट है ।

4. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड पे अथवा वेतनमान	क्या चयन अथवा अचयन पद है	क्या सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मल्टी टास्किंग स्टाफ	747* (2011) *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	पे बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड पे 1800 रु.	लागू नहीं	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच **टिप्पणी :** आयु के निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत तारीख होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा अथवा समतुल्य उत्तीर्ण	लागू नहीं	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है ?	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के लिए पुष्टि हेतु) : (1) उप निदेशक (प्रशासन) अथवा अवर सचिव (प्रशासन) —अध्यक्ष (2) सहायक निदेशक (प्रशासन) अथवा सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) —सदस्य (3) केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय का एक समूह 'क' अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं

(13)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (कोलकाता स्थित भाषा प्रभाग के लिए पुष्टि हेतु) :

(1) सहायक महारजिस्ट्रार (भाषा) अथवा वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (भाषा) —अध्यक्ष

(2) भाषाविद अथवा अनुसंधान अधिकारी (भाषा) अथवा सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) —सदस्य

(3) केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय का एक समूह 'क' अधिकारी —सदस्य

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (संबंधित जनगणना कार्य निदेशालयों में प्रोन्नति व पुष्टि हेतु) :

(1) उप-निदेशक जनगणना कार्य अथवा सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) —अध्यक्ष

(2) सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) अथवा सहायक निदेशक जनगणना कार्य —सदस्य

(3) केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय का एक समूह 'क' अधिकारी —सदस्य

[फा. सं. ए-51011/7/2010-प्रशा.-5]

के. एस. साहनी, संयुक्त सचिव एवं भारत के संयुक्त महारजिस्ट्रार

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Office of the Registrar General, India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2011

G.S.R. 44(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the office of the Registrar General, India and the Offices of the Directors of Census Operations in States and Union Territories, (Record Keeper/Daftry/Senior Peon/Junior Gestetner Operator), Recruitment Rules, 2001, the Office of the Registrar General, India and the offices of the Directors of Census Operations in States and Union territories, (Farash / Sweeper/Chowkidar/Mali/Loader/Peon/Packer) Recruitment Rules, 2001, and the Office of the Registrar General, India and the offices of the Director of Census Operations in States and Union Territories, Peon Group 'D' Posts Recruitment Rules, 2007 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi Tasking Staff in the office of the Registrar General, India, and offices of the Directorate of Census Operations in States and the Union territories, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India, and offices of Directorate of Census Operations in States and the Union territories, Multi Tasking Staff (Group 'C') Post, Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of the post, its classification and the Pay Band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, educational qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Multi Tasking Staff	747* (2011) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, (Non-Ministerial)	Pay Band-1, (Rs. 5200-20200) plus Grade Pay Rs. 1800	Not Applicable	Not Applicable	Between 18 and 27 years of age. **Note** : The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Matriculation or equivalent pass from a recognized Board	Not applicable	Two years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)	(12)
By direct recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for the office of the Registrar General, India for confirmation) consisting of : 1. Deputy Director (Administration) or Under Secretary (Administration) —Chairman	Not applicable.

(13)

2.	Assistant Director (Administration) or Assistant Director of Census Operations (Technical)	—Member
3.	A Group 'A' officer of another Central Government office	—Member

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for the Language Division at Kolkata for confirmation) consisting of :

1.	Assistant Registrar General (Language) or Senior Research Officer (Language)	—Chairman
2.	Linguist or Research Officer (Language) or Assistant Director of Census Operation (Technical)	—Member
3.	A Group 'A' officer of another Central Government office	—Member

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for the respective Offices of the Director of Census Operations for Confirmation) consisting of :

1.	Deputy Director of Census Operations or Assistant Director of Census Operations (Technical)	—Chairman
2.	Assistant Director of Census Operations (Technical) or Assistant Director of Census Operations	—Member
3.	A Group 'A' officer of another Central Government Office	—Member

[F. No. A-51011/7/2010-Ad-V]

K. S. SAWHNEY, Jt. Secy. & Jt. Registrar General of India

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.